अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 542(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2009 है ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

"अनुसूची-II-भाग क" में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली "हरियाणा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

हरियाणा

सरकार के मुख्य सचिव	80,000 रुपये (नियत)
वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव	80,000 रुपये (नियत)
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	80,000 रुपये (नियत)
वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव/ सदस्य, बिक्री कर अधिकरण	पी.बी.-4+जीपी 12000 रु.
सरकार के सचिव	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
राज्यपाल के सचिव	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
पंजीयक, सहकारी समितियां	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
राज्य परिवहन नियंत्रक	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
प्रभागों के आयुक्त	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
परिवहन आयुक्त	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निषेधाज्ञा, आबकारी और कराधान आयुक्त	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, कृषि	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, उद्योग	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, नगर और देहात योजना सह-शहरी सम्पदा और उपनिवेशन	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, उच्चतर शिक्षा	पी.बी.-4+जीपी 10000 रु

[फा. सं. 11031/03/2008-अ.भा.से. II (ख)]

हरीश चंद्र राय, डेस्क अधिकारी

(ख) "अनुसूची II-भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'हरियाणा' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सरकार के संयुक्त सचिव /उप सचिव

श्रम आयुक्त

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

निदेशक खाद्य और आपूर्ति

निदेशक, जन सम्पर्क, शिकायत और सांस्कृतिक कार्य

निदेशक, आथित्य और पर्यटन

निदेशक, चकबंदी, भूमि रिकार्ड और विशेष जिलाधीश

निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति और अन्य पिछडे वर्ग का कल्याण

निदेशक, महिला और बाल विकास

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण

निदेशक, पर्यावरण

निदेशक, खेल

निदेशक, विकास और पंचायत

निदेशक, ग्रामीण विकास और सांस्थानिक वित्त

निदेशक, आपूर्ति और निपटान

निदेशक, शहरी विकास

उपायुक्त

अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण /अपर जिलाधीश

टिप्पणी: मुख्य नियम 20-03-2007 की सा. का. नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में 10-1-2008 की सा. का. नि. 23(अ) 19- 9-2008 की सा. का. नि. संख्या 665(अ) तथा दिनांक 15-4-2009 की सा. का. नि. संख्या 253(अ) द्वारा संशोधित किए गए।